रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 1986/श्रावण 17, 1908
No. 172] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 1986/SRAVANA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 110-आई.टी.सी. (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1986

विषय :—अप्रैल, 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फाइल सं. आईपीसी/4/5(253)/85—88.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी सी (पी एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1895—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. आयात नीति में नीचे उल्लिखित स्थानों पर वर्णित "आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट के जारी होने की तिथि से 3 महीने (जो कि मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात, नई दिल्ली द्वारा किसी विशेष कारण से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है)" आंकड़े और शब्दों को "आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्रम सं.	आयात एवं निर्यात नीति, 1985-88 (खंड-1) की पृष्ठ सं.	अध्याय	पैरा
1.	14	3	47
2.	15	3	49(i)
3.	30	5	99
4.	54	11	166
5.	55	11	167
6.	55	11	168

3. आयात एवं निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोक हित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 110—ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 8th August, 1985

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

F.No. IPC/4/5/(253)/85—88.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The figure and words "3 months from the date of issue of import licence/CCP (which can be extended upto six months by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi for any special reason)" appearing at the undermentioned places in the Import Policy shall be substituted by the words "two years from the date of issue of import licence/CCP" :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985—88 (Volume I)	Chapter	Paragraph
1.	14	III	47
2.	15	III	49(I)
3.	30	V	99
4.	54	XI	166
5.	55	XI	167
6.	55	XI	168

3. The above amendments in the Import & Export Policy have been made in the public interest.

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986